न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/01/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/1

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट कोर्ट कैम्पस, बहरोड, जिला–अलवर (राज.)–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 11.01.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 14.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 04.12.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जिला कलक्टर अलवर (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा द्वितीय अपील प्र.सं. 106262/2021 निर्णय दिनांक: 05.08.2021 की अनुपालना में जारी पत्र सं. सम/2048–49 दिनांक: 15.11.2021 के क्रम में सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रति/सूचना चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को आवेदन दिनांक: 04.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक: 05.1.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही ई–मेल के जरिये भी जवाब–नोटिस प्रेषण हेतु सूचित किया गया व अपील के संबंध में स्मरण–पत्र भी जारी कर जवाब प्रेषण हेतु निर्देशित किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गंभीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदन के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांक 04.12.2021 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात सूचना उपलब्ध नहीं कराने का युंक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नही की है जो अधिनियम के विधिक प्रावधानों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।
7. अस्तु **अपील स्वीकार** की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांक: 04.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत सूचना यदि उपलब्ध कराई जाने की श्रेणी में हो तो उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में वांछित सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत–पत्र के जरिये उपलब्ध करा दी जावे अन्यथा स्थिति में तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें। साथ ही भविष्य में सूचना आवेदनों पर अतित्वरित विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित किया जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर